



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर लूट के दौरान मारपीट, चोरी का माल रखने तथा गृहभेदन से संबंधित अभियोग में 02 अभियुक्तों को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 16,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 127/22 धारा-394,413,457 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.पप्पू यादव पुत्र मान सिंह नि0-रहिमाल पुरवा, थाना हुसैनगंज, जिला-फतेहपुर 2.नाते उर्फ नाटे उर्फ शिवलाल पुत्र मेधीलाल नि0-रेरुआ गोवर्धनपुर थाना हुसैनगंज, फतेहपुर को दोषसिद्ध करते हुए 08 वर्ष के कठोर कारावास व ₹16,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री राजेश
कुमार तिवारी



विवेचक-
उ0नि0 श्री रोशन
लाल सरोज



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
हे0का0 ज्ञानेन्द्र सिंह